न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट किशनगढ़बास (अलवर)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज
10-5-19	उभय पक्ष के अधि० उप० । दोनों ही पक्ष बहस को मौका चाहते हैं वास्ते बहस दिनांक 28-5-19 को पेश हो।
	28-5-19 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब [illegible] कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अधि./उप. आवन्दा दिनांक 2-7-19 को पेश हो। रीडर
2-7-19	उभय पक्ष के अधि० उप० । वकील प्रार्थी ने निवेदन आज पत्रावली नहीं देखी मौका दिया जावे। वास्ते बहस 9-7-19 को पेश हो
9-7-19	उभय पक्ष के अधि० उप० । बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 16-7-19 को पेश हो
16-7-19	उभय पक्ष के अधि० उप० । प्रार्थी/प्रति० का प्रा० पत्र 9(13) भा०[illegible] सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है फैसला सुनाया होकर दाखिल दफ्तर हो। मिसल पृथक से शामिल किया गया।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ़-बास {अलवर}

अध्यासित: द्वारा:-
श्री सुरेन्द्र प्रसाद {आर.ए.एस.}

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
17	29-8-18	16-7-19

उनवान

1- नन्दराम पुत्र लालजी

2- प्यारेलाल पुत्र लालजी

3- सुखदेई बेवा खेमचन्द

4- रामनिवास पुत्र खेमचन्द

5- रामप्रशाद पुत्र लालजी

6- श्यामलाल पुत्र लालजी जाति चमार निवासी वास्डा किशनगढ़-बास तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर

:-वादी/अप्रार्थीगण

बनाम

1- दुर्गाप्रसाद पुत्र जयनारायण जाति ब्रा. निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान

2- तहसीलदार किशनगढ़-बास जिला अलवर

3- मोजीद खान पुत्र इलियास खान जाति मेव निवासी ग्राम दयालपुर

4- साजिद पुत्र इलियास खान जाति मेव निवासी दयालपुर

5- फराजखान पुत्र ताहिरखान निवासी दयालपुर तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर

:-प्रति. /प्रार्थीगण

{दावा इन्तगाल धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट. निर्णय व डिक्री दिनांक 21-6-18}

प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी. प्रति. नं. 3लगा. 5 की ओर से।

उपस्थिति:- 1- श्री धीरसिंह चौधरी वकील प्रार्थी/प्रति. की ओर से।
2- श्री अवनेश कुमार तिवाडी वकील अप्रार्थी/वादी. की ओर से।

::निर्णय::

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैं:- प्रार्थी/प्रति. ने प्रा. पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त मुकदमें का निर्णय दिनांक 21-6-18को एक्सपार्टी में कर दिया है। जो निर्णय प्रार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये किया गया है।

--2--

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

उक्त वाद में प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिनांक 3-10-17 को एकपक्षीय अमल में लाई गई और निर्णय दिनांक 21-6-18 को किया गया जिसका कोई इल्म प्रतिवादीगण को नहीं था और एकपक्षीय आदेश की इजराय पेश की हुई है। 21-6-18 को न्याय आपके द्वारा के कैम्प चल रहे थे इसलिए सारी फाईलें कैम्प में जा रही थी। न्यायालयों में कोई कार्य नहीं हो रहा था। न्याय आपके द्वार कैम्प का कोई नोटिस ना तो प्रतिवादीगण को मिला ना ही प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को मिला, बिना सूचना बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय किया गया है जो हर सूरत में अपास्त किये जाने योग्य है।

दिनांक 27-8-18 को प्रतिवादीगण ने आकर अदालत में मालूम किया तो इस एकपक्षीय आदेश की जानकारी प्रतिवादी को हुई जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा उसी दिन नकल प्राप्त की और अविलम्ब प्रार्थना पत्र पेश किया।

वादी ने अपने वाद में यह अंकित किया है कि आ. ख. नं. साबिक 141मिन रकबा 1-15बिस्वा वाके दयालपुर जिसके हाल ख. नं. 194व 199 है। अगर वादी के वाद पत्र का अवलोकन किया जावे तो जो रजि. बयनामा में ख. नं. 195/1-15 विवादित ही नहीं है। ऐसा मिलान क्षेत्रफल से अंकित होता है। किन्तु न्यायालय श्रीमान ने राजस्व रिकार्ड का बारिकी से अवलोकन नहीं नहीं किया। आ. ख. नं. 195/1-15 का प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 3, 4, 5 को जरिये रजि. बयनामा दिनांक 8-11-12को बेचान किया है और उनके बयनामा को शून्य घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

वादी ने फर्जी गवाह प्रस्तुत कर उक्त दावे में एकपक्षीय आदेश पारित किये हैं। जिसमें न्यायायल श्रीमान आर.ए.ए. अलवर व राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन आदेश भी विचाराधीन था। उस दौरान इजराय की कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी। उक्त प्रकरण में बिना साक्ष्य सबूत लिये बिना प्रार्थीगण को सुने बाला बाला इकतरफा में दावा स्वीकार किया गया। प्रार्थीगण को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है प्रार्थीगण को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जावे ताकि असलियत रोशन हो सके और अदालत को न्याय करने में सुविधा होगी।

अत: प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151जा.दी. पेश कर निवेदन है कि उक्त अनुपान की मिसल तलब की जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इकतरफा निर्णय दिनांक 21-6-18 को निरस्त किया जावे तथा इजराय की कार्यवाही ड्रोप फरमया जाकर प्रार्थीगण को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

--3--

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/वादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुये जवाब पेश किया कि प्रार्थी/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जिसकी जानकारी प्रार्थी/प्रति. को व उनके अधिवक्ता को रही है। प्रार्थी/प्रति. येनकेन प्रकरण में मिस अप्रार्थी को उलझाना चाहते हैं। यह सही है कि माननीय न्यायालय में कैम्प चल रहे थे और उक्त आदेश कैम्प में हुए जिसके नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि प्रतिवादीगण/प्रार्थी. की पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी थी उक्त कैम्पों में की भी जानकारी आमजन को रही है। प्रतिवादीगण/प्रार्थी को मुकदमें की तथा डिक्री की जानकारी नहीं है। प्रति./प्रार्थी द्वारा स्वयं आदेश 1 नियम 10 जा.दी.की दर. न्यायालय श्रीमान में पेश की जिसमें न्यायालय आदेश के बाद प्रार्थी/प्रति. को पार्टी बनाऐ गये।

प्रार्थी./प्रति.का यह कहना भी गलत है कि वादी ने अपने वाद के जिमन नं. 1 में ही खसरा नम्बर 195 को विवादित बताया है। प्रार्थी/प्रति. का यह कहना की ख.नं. 195 विवादित ही नहीं था गलत है। प्रार्थी/प्रति. ने आदेश 1 नियम 10 जा.दी.की दर प्रस्तुत की उसमें स्वयं ने स्वीकार किया कि वाद में ख.नं. 195 विवादित है अब उक्त दर. में मना करते हैं जो तथ्य एक दूसरे से मुतजाद है। प्रतिवादी द्वारा दौराने दावा उक्त आराजी खरीद की है उक्त बयनामा में सैक्शन 39 का नोट लगा है दावे की जानकारी वक्त बयनामा भी थी किन्तु प्रार्थी/प्रति. द्वारा हम प्रार्थी/वादी को तवालत में डालने की नियत से फर्जी तरीके से रजि. कराई है जो सही रूप से न्यायालय श्रीमान द्वारा शून्य करार दी गई है। प्रार्थी/प्रति. ने उक्त बयनामा जर्ये फर्जी मु0आम द्वारा कराई है। डिक्री की पालना में इन्तकाल दर्ज होकर वादीगण के नाम का अमल जमाबन्दी में हो चुका है। इसलिए मौ जूदा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. चलने योग्य नहीं है।

अत: जवाब प्रार्थना पत्र वादी की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रति.का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 जा.दी. मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रति. ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि दिनांक 21-6-18 को एक्सपार्टी में कम्प के दौरान डिक्री किया गया है में प्रति.नं. 3, 4, 5 का एडवोकेट हूँ। मैंने यह भूमि 8-11-12 को रजि0 से खरीद की है।

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

दोनापार्क परचेजर हूँ मेरा हित/अधिकार निहित है मुझे मेरा पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। इस कारण दिनांक 28-8-18 को प्रा. पत्र 9(13) प्रस्तुत किया है । आर.ए.ए. कोर्ट में भी पाद जेरकार था। इनके द्वारा इजराय की कार्यवाही भी गलत करवायी गई है। प्रति. नं. 3, 4, 5 की जानकारी पर कोई सूचना भी नहीं मिली हमें कैम्प की भी कोई सूचना नहीं थी। न्यायालय मुझे सुनने का विधिक अवसर दे मुझे पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित ना करें। मैंने 1(10) जा.दी. का प्रा. पत्र पेश किया था तब मेरे बयनामें भी देखे गये थे मुझे पक्षकार बनाया गया है। मेरी दर. आदेश 9 नियम 13 जा.दी. स्वीकार की जावे। वकील अप्रार्थी/वादी ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि जिनकी ओर से 9(13) पेश हुआ है उनके द्वारा कोर्ट से धोखा किया जा रहा है। ये दावा मैंने ओरेजनली 26-10-12 को पेश किया जिसमें न्यायालय श्रीमान द्वारा टी.आई जारी की गई। बावजूद स्टे के प्रति. नं. 1 ने बेचान करदिया। खरीददार प्रति. नं. 3, 4, 5 ने 1(10) जा.दी. का प्रा. पत्र पेश कियाजिन्हें पक्षकार बनाया गया इनके द्वारा जवाब पेश किया गया इनको जानकारी होतु हुये भी हाजिर नहीं आये जो अब 9(13) लाये हैं। अब इन्हें 9(13) पर ही बोलना चाहिये। दावे का फैसला हो चुका है। 1(10) का प्रार्थना पत्र इनके द्वारा पेश किया गया । इसके बाद वादी ने 3-2-15 को प्रा. पत्र 6(17) पेश किया। दावे में संशोधन हुवा । ये हाजिर आये मैंने संशोधित टी.आई भी पेश की टी.आई ली इनको पार्टी बनाया जिसका जवाब 11-2-15 को इनके द्वारा पेश किया गया। टी.आई फैसल हुई जिसकी अपील आर.ए.ए. में हुई। 9(13) वहां काम आती है जहां प्रतिवादी की तामील नहीं हुई हो, कोई सूचना न हो, बैंक से डिक्री हांसिल करली हो, इनके द्वारा कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है इन्हें वाद की बाखूबी जानकारी रही है। इनके द्वारा टी.आई को कन्टेस्ट किया है। डिक्री की पालना हो चुकी है। डिक्री के खिलाफ इनके द्वारा अपील भी आर.ए.ए. में यहां दायर की गई है । इसलिए प्रा. पत्र 9(13) खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा मूल वाद की पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा यह वाद दिनांक 26-10-12 को पेश किया गया तथा दिनांक 26-10-12 को टी.आई जारी की गई। बावजूद स्थगन के आराजी विवादित को प्रति. नं. 1 ने प्रति. नं. 3, 4, 5 (दर. देहिन्दा) के पक्ष में बयनामा करादिया जिस बयनामा पर उप पंजियक द्वारा धारा 39 का नोट किया किया हुवा है । प्रार्थी/प्रति. 3, 4, 5 द्वारा वाद में दिनांक 27-1-15 को पक्षकार बनने हेतु प्रा. पत्र 1(10) पेश किया। जो प्रार्थना पत्र दिनांक

--5--

उप [signature] जिला कलेक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

11-3-15 को स्वीकार किया जाकर वाद में पक्षकार बनाया गया। दिनांक 19-10-15 को प्रा. पत्र 6(17) स्वीकार किया गया। दिनांक 30-8-17 तक प्रतिवादीगण के अभिभाषक उपस्थित होते रहे। इसके पश्चात् दिनांक 3-10-17 को प्रतिवादीगण अभिभाषक अथवा प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुये जिनके विरुद्ध एकपक्षीयकार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये। इसके पश्चात् बाद 10 पेशीया लगी लगभग 9 माह की अवधि गुजरजाने के पश्चात् भी प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुये। इसके पश्चात् वाद दिनांक 21-6-18 को एकपक्षीय डिक्री किया गया है। जिससे साबित है कि

1- प्रति. नं. 1 द्वारा प्रति. नं. 3, 4, 5 के पक्ष में स्टे होते हुये बयनामा कराया है जिससे पक्षकारान को वाद की जानकारी थी, जिसका नोट बयनामा पर अंकित है।

2- स्वयं प्रति. नं. 3, 4, 5, द्वारा वाद में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर वाद पक्षकार बनाया गया। जिससे भी पक्षकारान प्रति. को वाद की जानकारी रही है।

3- दिनांक 3-10-17 को प्रार्थी/प्रति. के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई जिसके पश्चात् वाद में निरन्तर 10 पेशीया लगी जिनमें 9 माह तक का समय लगा तब तक भी प्रति. द्वारा कोई प्रार्थना पत्र जानकारी रहते हुये भी पेश नहीं किया गया।

उक्त तथ्यों से बाखूबी साबित होता है प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा द्वारा समुचित अवसर प्रदान किये गये हैं। प्रति. का यह कथन कतई साबित नहीं होता कि उन्हें वाद की जानकारी नहीं थी प्रतिवादीगण के अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुवा है विधिवत् सुनवाई के, अवसर दिये गये हैं। इस प्रकार प्रार्थी/प्रति. का प्रार्थना पत्र 9(13) जा.दी. सारहीन प्रतीत होता है जो काबिल खारिज है।

अत: आदेश है कि :-

प्रार्थी/प्रतिवादीगण नं. 3, 4, 5 का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा. दी. सपठित धारा 151 जा.दी. सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner